

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद : Hyderabad- 500 052.

Inter Office Note

Sub : Notified Recruitment Rules for the post of Constable (Pioneer) - Reg

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Constable (Pioneer) is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under 'Recruitment Rules" column.

28/9
(N. Madhusudhana Reddy)
I/c Deputy Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/1/09/Estt/RRs/A-5/Constable (Pioneer)

Dated 28 /09/ 2018



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 35]

नई दिल्ली, अगस्त 26—सितम्बर 1, 2018, शनिवार/भाद्र 4—भाद्र 10, 1940

No. 35]

NEW DELHI, AUGUST 26—SEPTEMBER 1, 2018, SATURDAY/BHARDA 4—BHARDA 10, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 282.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कांस्टेबल (पायोनियर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कांस्टेबल (पायोनियर) भर्ती नियम, 2018 है।
- ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|-------------------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| कांस्टेबल (पायोनियर) | 15* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 3 (रु. 21,700-69,100/-) |

| चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं |
|----------------|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|--------------------------------|--|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति द्वारा |

| |
|---|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
| (11) |
| प्रतिनियुक्ति — केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो समरूप पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ निर्माण शाखा या पायोनिर अनुभाग में 3 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों। टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति कि अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति कि अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने कि अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| | |
|---|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[फा. सं. 23011/23/2018—पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th August, 2018

G.S.R. 282.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (Pioneer) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Constable (Pioneer) Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay Matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of posts | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---------------------|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Constable (Pioneer) | 15* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group- 'C', Non- Gazetted. Non-Ministerial. | Level-3 in the pay matrix (Rs.21,700 – 69,100/-). | Not applicable |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
|-------------------------------|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Period of probation, if any | Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made |
|-----------------------------|---|--|
| (9) | (10) | (11) |
| Not applicable | By deputation | <p>By Deputation:</p> <p>Officers of the Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Police Organisations holding analogous post with five years' regular service and with 3 years experience in the Works branch or Pioneer section.</p> <p>Note 1. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> |

| If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|--|---|
| (12) | (13) |
| Not applicable | Not applicable |

[F. No. 23011/23/2018-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 283.—निकेन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (क) एवं (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सशस्त्र सीमा बल समूह 'ग' योधक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल, योधक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ग' योधक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए "शेष-1" से निम्नवत् परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :-

(i) कोड अक्षर शेष (एस.एच.ए.पी.ई), जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित विद्यमान घटकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :-

| | | |
|----|---|--------------------|
| एस | — | मनोवैज्ञानिक |
| एच | — | श्रवण शक्ति |
| ए | — | उपांग (अपेन्डेजेस) |
| पी | — | शारीरिक क्षमता |
| ई | — | दृष्टि शक्ति |

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यक्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 गिरती कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके द्वारा जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-1 में है, वहाँ उसका प्रवर्ग एस1, एच1, ए1, पी1, ई1 लिखने के बजाय, शेष-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

(क) भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।